उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या– 03/2023

प्रियंका कुमारी बनाम् राधा गोविन्द शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट थर्रो ट्रस्टी बैजनाथ साह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
28.04.2023	:: आदेश ::	

:: आदेश ::

यह वाद अपीलार्थी आवेदक प्रियंका कुमारी, पिता–स्व० सुकर उराँव, निवास ग्राम–गौशाला रोड, विकास नगर, पो०–रामगढ़ कैन्ट, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ के द्वारा नीचे वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–49 के अन्तर्गत राधा गोविन्द शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट थर्रो ट्रस्टी बैजनाथ साह के नाम से बिक्री की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है।

बिक्री कर अनुमति हेतु दायर भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	थाना/ थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (बिक्री की अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा) (एकड़ में)
गडके	रामगढ़/99	02	1608	0.50 एकड़
कुल रकवा				0.50 एकड़

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा Withdrawal Petition दायर करते हुए मौजा–गंडके, खाता सं०–02, प्लॉट सं०–1608, रकवा–0.50 ए० भूमि का परिमिशन हेतु दायर आवेदन वापस करने का अनुरोध किया गया है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका द्वारा वाद की भूमि के बिक्री से संबंधित Petition Withdrawal करने के कारण आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी के द्वारा दायर Withdrawal Petition एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में परमिशन हेतु दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.06.06 14:17:59 +05:30
Location: 192.168.0.215

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
28.5.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
28.5.23
उपायुक्त,
रामगढ़।